न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2022 दायर दिनांकः 13/01/2022

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 58 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा।
2. मोहनलाल आयु 51 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा।
3. हरिबल्लभ आयु 47 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा।
4. जानकीबाई आयु 61 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा।
5. लाडबाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा।
6. कमलेशबाई आयु 45 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश

दिनाकः 16/02/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 181 की ख0ं0 375 रकबा 1.40 है0, ख0नं0 376 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 378 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 रकबा 2.64 है0 आराजी वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही थी। तथा खाता संख्या 184 की ख0नं0 539 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 540 रकबा 1.41 है0 कुल किता 2 रकबा 2.54 है0 आराजी वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड

निवासी हानीहेडा के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादीगण के दादा किशनलाल व श्रीकृष्ण दोनो नामों से पुकारते थे इस कारण एक खाते में किशनलाल व दूसरे खाते में श्रीकृष्ण दर्ज हो गया है। वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र किशनलाल उर्फ श्रीकृष्ण जाति धाकड का स्वर्गवास हो गया है। जिनके स्थान पर एक खाता में वादीगण के नाम फोती इन्तकाल खुल गया है। तथा दूसरे खाते में फोती इन्तकाल नहीं खुल पाया है। मृत्यु प्रमाण पत्र आधार, कार्ड, वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के दादाजी के दो नाम किशनलाल व श्रीकृष्ण होने के कारण वादीगण वारीस का नाम मृतक पिता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण वादीगण को सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभों से वंचित होा पड रहा है। वादीगण के पिता का नाम सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, में रामचन्द्र पुत्र किशनलाल ही दर्ज है। अतः वादीगण अपे पिता का नाम रामचद्र पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र किशनलाल एक ही नाम करवाकर फोती इन्तकाल खुलवाने के अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद नाम दुरूस्ती का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी भूमि धारक होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद भी दिनांक 29.10.2021 को वाद पत्र की मद ं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 184 पर वादीगण के पिता नाम दुरूस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारा तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 184 में वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र किशनलाल दुरूस्त करने व मृतक रामचन्द्र के स्थान पर वादीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 3** के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खाता संख्या 184 में वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र किशनलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया संवत 2072–2075 की जमाबन्दी ग्राम हानीहेडा के खाता संख्या 184 की किता 2 रकबा 2.54 है0 आराजी खातेदार रामचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण के दर्ज है। खाता संख्या 179 खातेदार रामचन्द्र पुत्र किशना दर्ज है। अन्य दस्तावेज वादीगण के पिता का आधार कार्ड में रामचन्द्र पुत्र किशन लाल दर्ज है। राशनकार्ड में सत्यनारायण नागर पुत्र रामचंद्र नागर दर्ज है। ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र दिनांक 31.12. 2021 अनुसार किशनलाल एवं श्रीकृष्ण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादीगण के दादा का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित खाता संख्या 184 की ख0नं0 539 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 540 रकबा 1.41 है0 कुल

किता 2 रकबा 2.54 है0 में खातेदार रामचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र किशन लाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां